



वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

परचिय

- वन्यजीव संबंधी संवैधानिक प्रावधान
 - 42वें संशोधन अधनियम, 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
 - संवधान के अनुच्छेद 51 A (g) में कहा गया है कि विनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक प्रयावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक करत्वय होगा।
 - राज्य के नीति निरिशेशक सदिकांतों के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक, राज्य प्रयावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा।
 - वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972: यह अधनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधनियमिति किया गया था।
 - यह अधनियम जममू-कशमीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।
 - इस कानून से पहले भारत में केवल पाँच नामित राष्ट्रीय उदयान थे।
 - वर्तमान में भारत में 101 राष्ट्रीय उदयान हैं।
 - अधनियम के तहत नयिक्त प्राधिकारी
 - केंद्र सरकार, वन्यजीव संरक्षण निदेशक और उसके अधीनस्थ सहायक निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों की नयिक्तिकरती है।
 - राज्य सरकारें एक 'मुख्य वन्यजीव वार्डन' (CWLW) की नयिक्तिकरती हैं, जो वभिग के वन्यजीव वगि का प्रमुख होता है और राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों (PAs) पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

अधनियम की मुख्य विशेषताएँ

- शकिर पर प्रतबंधित: यह अधनियम अनुसूची I, II, III और IV में नरिदृष्टि कसी भी जंगली जानवर के शकिर को प्रतबंधित करता है।
 - अपवाद: इन अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध कसी जंगली जानवर को राज्य के 'मुख्य वन्यजीव वार्डन' (CWLW) से अनुमति लिने के बाद ही मारा जा सकता है यदि:
 - वह मानव जीवन या संपत्ति (कसी भी भूमा पर मौजूद फसल सहित) के लिये खतरा बन जाता है।
 - वह बकिलांग है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे नजिक पाना संभव नहीं है।
 - नरिदृष्टि पौधों को काटने/उखाड़ने पर प्रतबंधित: यह अधनियम कसी भी वन भूमिया कसी संरक्षित क्षेत्र से कसी नरिदृष्टि पौधे को उखाड़ने, कषत पिछुनाने, संग्रहण, कब्जे या बकिरी पर प्रतबंधित लगाता है।
 - अपवाद: हालाँकि 'मुख्य वन्यजीव वार्डन' शकिषा, वैज्ञानिक अनुसंधान, कसी जड़ी-बूटी के संरक्षण आदि के उद्देश्य से कसी वशिष्ट पौधे को उखाड़ने या एकत्र करने की अनुमति दे सकता है या फरि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कई संस्थान/व्यक्ति ऐसा कर सकता है।
 - वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उदयानों की घोषणा और संरक्षण: केंद्र सरकार कसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है, बशर्ते वह क्षेत्र पर्याप्त पारस्परितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व का हो।
 - सरकार कसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकती है।
 - अभ्यारण्य के रूप में घोषित क्षेत्र को प्रशासनिक तथा राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिकित्सा विभाग, प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण जैसे नकायों के गठन का प्रावधान करता है।
 - सरकारी संपत्ति: अधनियम के मुताबिक, शकिर कथि गए जंगली जानवर (कीड़े के अलावा), जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं या कसी जंगली जानवर का मांस और भारत में आयात कथि गए हाथी दाँत एवं ऐसे हाथी दाँत से बनी वस्तु सरकार की संपत्ति भानी जाएगी।

अधनियम के तहत गठति नकाय

- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** अधनियम के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का गठन करेगी।
 - यह बोर्ड वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिये और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में एवं आसपास के क्षेत्रों में कसी भी प्रकार की परियोजना के अनुमोदन के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
 - इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और यह वन्यजीवों एवं वनों के संरक्षण तथा वकास को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।
 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है।

- यह बोर्ड 'सलाहकार' प्रकृति का है और केवल सरकार को वन्यजीवों के संरक्षण के लिये नीतियां बनाने पर सलाह दे सकता है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर या उसके 10 किलोमीटर दायरे में आने वाली सभी परयोजनाओं को मंजूरी देने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन करता है।
 - इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।
- राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL): राज्य सरकार राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) के गठन के लिये उत्तरदायी हैं।
 - राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
 - ये बोर्ड नियन्त्रित मामलों में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार को सलाह देते हैं:
 - संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किये जाने वाले क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन।
 - वन्यजीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करने।
 - कस्ती अनुसूची में संशोधन से संबंधित कोई मामला।
- केंद्रीय चांडियाघर प्राधिकरण: यह अधनियम केंद्रीय चांडियाघर प्राधिकरण (CZA) के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव सहित कुल 10 सदस्य शामिल होते हैं।
 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
 - यह प्राधिकरण चांडियाघरों को मान्यता प्रदान करता है और इसे देश भर में चांडियाघरों को विनियमित करने का भी कार्य सौंपा गया है।
 - यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांडियाघरों में जानवरों को स्थानांतरण करने संबंधी नियमों का भी नियंत्रण करता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): टाइगर टास्क फोर्स की सफारियों के बाद, बाघ संरक्षण संबंधी प्रयासों को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का गठन किया गया था।
 - केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसका अध्यक्ष, जबकि राज्य पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है।
 - केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सफारियों के आधार पर ही कस्ती क्षेत्र को टाइगर रजिस्ट्रेशन घोषित करती है।
 - भारत में 50 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्यों को टाइगर रजिस्ट्रेशन के रूप में नामित किया गया है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र हैं।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण बयूरो (WCCB): देश में संगठित वन्यजीव अपराध से नापिटने के लिये अधनियम में वन्यजीव अपराध नियंत्रण बयूरो (WCCB) के गठन संबंधी प्रावधान किया गए हैं।
 - बयूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थिति है।
 - कार्य:
 - संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका विश्लेषण करना और अपराधियों को पकड़ने के लिये यह सूचना राज्य को प्रदान करना।
 - एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना।
 - वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करना।
 - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों, प्रासंगिक नीति और कानूनों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना।

अधनियम के तहत अनुसूचियाँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972 के तहत विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थितिको नियन्त्रित किया गया है:

■ अनुसूची I

- इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें सरकारी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शक्ति, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सबसे कठोर दंड दिया जाता है।
- इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शक्ति करने पर प्रतिबंध है, सविय ऐसी स्थितियों के जब वे मानव जीवन के लिये खतरा हों अथवा वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों, जिससे ठीक होना संभव नहीं है।
- अनुसूची I के तहत नियन्त्रित जानवर शामिल हैं:
 - ब्लैक बक
 - बंगाल टाइगर
 - धूमल तेंदुआ
 - हमि तेंदुआ
 - दलदल हरिण
 - हमिलयी भालू
 - एशियाई चीता
 - कश्मीरी हरिण
 - लायन-टेल्ड मैकाक
 - कस्तूरी मृग
 - गैंडा
 - बरो-पंटलरड डियर
 - चकिरा
 - कैप्ड लंगूर
 - गोलडन लंगूर

- हूलॉक गविष्वन

■ अनुसूची II

- इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिये उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतबिधि आदि शामिल हैं।
- इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शक्तिकार करने पर प्रतबिधि है, सविाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिये खतरा हों अथवा वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों, जिससे ठीक होना संभव नहीं है।
- अनुसूची II के तहत सूचीबद्ध जानवरों में शामिल हैं:
 - असमिया मैकाक, पगि टेलड मैकाक, सटंप टेलड मैकाक
 - बंगाल हनुमान लंगूर
 - हमिलयन ब्लेक बियर
 - हमिलयन सैलामैंडर
 - सायार
 - उड़ने वाली गलिहरी, वशिल गलिहरी
 - स्पर्म व्हेल
 - भारतीय कोबरा, कगि कोबरा

■ अनुसूची III और IV

- जानवरों की वे प्रजातियाँ, जो संकटग्रस्त नहीं हैं उन्हें अनुसूची III और IV के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- इसमें प्रतबिधि शक्तिकार वाली संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिये दंड पहली दो अनुसूचियों की तुलना में कम है।
- अनुसूची III के तहत संरक्षित जानवरों में शामिल हैं:
 - चतितीदार हरिण
 - नीली भेड़
 - लकड़बग्धा
 - नीलगाय
 - सांभर (हरिण)
 - सूंपंज
- अनुसूची IV के तहत संरक्षित जानवरों में शामिल हैं:
 - राजहंस
 - खरगोश
 - फाल्कन
 - कगिफशिर
 - नीलकण्ठ पक्षी
 - हॉर्सशू करैब

■ अनुसूची V

- इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल हैं जिन्हें 'कृमि' (छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों तथा भोजन को नष्ट करते हैं) माना जाता है। इन जानवरों का शक्तिकार किया जा सकता है।
- इसमें जंगली जानवरों की केवल चार प्रजातियाँ शामिल हैं
 - कौवे
 - फर्रूटस बैट्स
 - मूषक
 - चूहा

■ अनुसूची VI

- यह नरिदृष्टि पौधों की खेती को वनियमिति करता है और उनके कबजे, बक्कि और परविहन को प्रतबिधिति करता है।
- नरिदृष्टि पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।
- अनुसूची VI के तहत संरक्षित पौधों में शामिल हैं:
 - साइक्स बेडोमि
 - बलू वांडा (बलू ऑर्कडि)
 - रेड वांडा (रेड ऑर्कडि)
 - कुथु (सौसुरया लप्पा)
 - स्लीपर ऑर्कडि
 - पचिर प्लांट (नेपेंथेस खासियाना)